मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

कमांक : 6041/16/191 यौ भोपाल, दिनांक 28.10.16

प्रति,

1. प्रबन्ध संचालक,
   मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम,
   भोपाल.

2. प्रमुख अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   भोपाल.

3. परियोजना संचालक,
   पी.आई.यू., लो.नि.वि.
   भोपाल.

4. समस्त मुख्य अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   मध्यप्रदेश.

5. अतिरिक्त परियोजना संचालक,
   पी.आई.यू., लो.नि.वि.
   मध्यप्रदेश.

विषयः— निर्माण कार्यो में साधारण मिट्टी एवं मुरूम हेतु अनुज्ञापत्र जारी करने एवं रायल्टी के भुगतान के संबंध में।

संदर्भः— मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 06 सितम्बर, 2013

मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजपत्र दिनांक 06 सितम्बर, 2013 की प्रति संलग्न है । मध्यप्रदेश में गौण खनिज नियम 1966 में निम्नालिखित संशोधन किये गये हैं :

(2) नियम 68 में, —

(क) उप नियम (1) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जाएं, अर्थात '

''(दो) उपर खण्ड (एक) में अंतर्विष्ट किसी बात के हाते हुए भी, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा राज्य के सरकारी विभागों के अधीन निर्माणाधीन या निर्मित की जाने वाली सड़कों की दशा में मुरम की अनुज्ञा राज्य सरकार के संबंधित सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा सरकारी विभाग के कार्यापालन यंत्री अथवा कार्यपालन यंत्री के समकक्ष अधिकारी द्वारा प्राधिकृत ठेकेदारों को दी जायेगी तथा ऐसी अनुज्ञा जारी किये जाने के पूर्व उनके द्वारा खनिज,

राजस्व तथा वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जायेगी तथा जारी की गई अनुज्ञा की प्रति इन विभागों को पृष्ठांकित की जायेगी. राज्य सरकार के संबंधित सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री के समकक्ष अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय से अभिवहन पास बुक अग्रिम में प्राप्त करेंगे और वह ठेकेदारों को अभिवहन पास जारी करेंगे तथा संबंधित कलेक्टर को प्रत्येक तीन मास में उत्खनित गौण खनिज की मात्रा से अवगत करायेंगे."

(ख) उप नियम (3) में, पूर्ण विराम के पश्चात् कोलन स्थापित किया जाये तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात :

"परन्तु राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा राज्य के सरकारी विभाग के अधीन किए गए और किए जाने वाले समस्त निर्माण कार्यो के लिए साधारण मिट्टी और मुरम पर रायल्टी देय नहीं होगी."

राज्य शासन द्वारा किये गये उक्त संशोधन (क) (दो) के अनुरूप लोक निर्माण विभाग एवं म.प्र. सड़क विकास निगम के अन्तर्गत निर्माण किये जाने वाले सड़कों हेतु मुरम अनुज्ञा जारी करने के निर्देश तथा (ख) उप नियम (3) में किये गये संशोधन के अनरूप साधारण मिट्टी और मुरम पर रायल्टी के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

Prakash 28.10.2006

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव,
लोक निर्माण विभाग

पृ0 कमांक : भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः– विशेष सहायक, मा0 मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2013—भाद्र 15, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. एफ. 19-3-2011-बारह-1.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 3 (तीन) में, खण्ड (तीन) में, शब्द "ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए संबंधित पंचायतों द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों के लिए शासकीय भूमि से निकाले गये गौण खनिज" के

स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों तथा जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिये संबंधित पंचायतों तथा जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों के लिए शासकीय भूमि से निकाले गये गौण खनिज" स्थापित किया जाएं.

(2) नियम 68 में,—

(क) उप नियम (1) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

"(दो) ऊपर खण्ड (एक) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा राज्य के सरकारी विभागों के अधीन निर्माणाधीन या निर्मित की जाने वाली सड़कों की दशा में मुरम की अनुज्ञा राज्य सरकार के संबंधित सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री अथवा कार्यपालन यंत्री के समकक्ष अधिकारी द्वारा प्राधिकृत ठेकेदारों को दी जायेगी तथा ऐसी अनुज्ञा जारी किये जाने के पूर्व उनके द्वारा खनिज, राजस्व तथा वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जायेगी तथा जारी की गई अनुज्ञा की प्रति इन विभागों को पृष्ठांकित की जायेगी. राज्य सरकार के संबंधित सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री के समकक्ष अधिकारी, कलक्टर कार्यालय से अभिवहन पास बुक अग्रिम में प्राप्त करेंगे और वह ठेकेदारों को अभिवहन पास जारी करेंगे तथा संबंधित कलक्टर को प्रत्येक तीन मास में उत्खनित गौण खनिज की मात्रा से अवगत करायेंगे."

(ख) उपनियम (3) में, पूर्ण विराम के पश्चात् कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, प्राधिकरण, मण्डल, स्थानीय निकाय अथवा राज्य के सरकारी विभाग के अधीन किए गए और किए जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों के लिए साधारण मिट्टी और मुरम पर रायल्टी देय नहीं होगी.".

No. F-19-3-2011-XII-1.—in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,

(1) in rule 3, in clause (iii) for the words "The minor minerals removed from Government lands for public works by Gram Panchayats, Janpad Panchayats and Zila Panchayats for work undertaken by respective Panchayats", the words "The minor minerals removed from Government lands for public works by Gram Panchayats, Janpad Panchayats, Zila Panchayats and Water User Associations for work undertaken by respective Panchayats and Water User Associations" shall be substituted.

(2) In rule 68,—

(a) for clause (ii) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) above, in case of roads under construction or to be constructed under the public sector, authority, board, local body of State Government or Government department of the State, the permits of murrum shall be given by the Executive Engineer or officer equivalent to Executive Engineer of the concerned public sector, authority, board local body of State Government or Government department of the State to the authorized contractor and prior to issuing of such permit no objection from Mining, Revenue and Forest Department

shall be obtained by them and copy of the permit issued shall be endorsed to these departments. The Executive Engineer or officer equivalent to Executive Engineer of concerned public sector, authority, board, local body of State Government or Government departments of the State shall obtain Transit Pass Book in advance from office of the Collector and he shall issue the transit pass to contractors and quantity of the minor mineral excavated shall be informed, in every three months, to the concerned Collector.".

(b) in sub-rule (3) after full stop, a colon shall be substitued and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

Provided that royalty on ordinary clay and murrum shall not be payable for all construction works carried out or to be carried out under public sector, authority, board, local body of the State Government or Government dapartment of the State.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, अपर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. एफ-1-19-2009-तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत मध्यप्रदेश स्वराज संस्थान संचालनालय के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वराज संस्थान संचालनालय (संस्कृति विभाग) तृतीय श्रेणी अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2013 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, नियम 13 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, सक्षम सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जाति, मूलवंश या उसका भाग या उनमें के यूथ, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;